

कोटेशन सूचना

Quotation Notice

विषय:- चिकित्सालय हेतु कन्ज्यूमेबल / डिस्पोजेबल / सर्जिकल सामग्री क्रय के संबंध में।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) के विभिन्न विभागों में कन्ज्यूमेबल / डिस्पोजेबल / सर्जिकल सामग्री की आवश्यकता है, अतः उक्त सामग्रियों को क्रय किये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करे :-

SL.NO.	ITEMS NAME CATEGORY WISE	PACKING SIZE	MFG	BASIC RATE	GST	TOTAL RATE (B.R. + GST)
1	SUCTION CATHETER 8 NO.	Each				
2	SUCTION CATHETER 10 NO.	Each				
3	CUTICELL (PARAFFINE GAUZE)	Each				
4	BIOLOGICAL INDICATOR TAPE	Each				
5	DISPO NEEDLE 18 NO.	Each				
6	DISPO NEEDLE 20 NO.	Each				
7	DISPO. INSULIN SYR. 1ML (100 UNIT)	Each				
8	DISPO. ISULIN SYRIENGE 1 ML (40 UNIT)	Each				
9	SURGICAL BLADE 24 NO.	Each				
10	DISPO. SURGEON CAP (HEAD CAP) ROUND	Each				
11	ECG JELLY 250 ML	Each				
12	ECG RECORDING PAPER 210MM X 20MT	Each				
13	ARTERY FORCEP 6" CRV	Each				
14	FOLEYS CATHETER 10 NO.	Each				
15	FOLEYS CATHETER 18 NO.	Each				
16	CORRUGATED DRAIN	Each				
17	HAMMER	Each				
18	TONGUE DEPRESSOR	Each				
19	WEIGHT MACHINE	Each				
20	TAILOR SCISSOR	Each				
21	PAPER STICKER	Each				
22	BAIN CIRCUIT ADULT	Each				

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्तें:-

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।

2. कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
3. किसी भी फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।
4. सामाग्रियों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
5. आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामाग्रीयों प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6. लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।
7. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
8. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. सामाग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
10. उक्त सामाग्री गुणवत्ता विहिन पाये जाने पर वापस किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
11. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
12. सामग्री का प्रदाय MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक मूल्य पर प्रदाय नहीं किया जायेगा।

Jay 15.12.23

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/क्रय/CCMGMCH/2023/
प्रतिलिपि:-

दुर्ग, दिनांक/

अधिष्ठाता, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
की ओर सादर सूचनार्थ।

Jay 15.12.23

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)